न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 87 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
आईदानसिंह पुत्र माधुसिंह उर्फ माधोसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सितली तहसील कल्याणपुर	1. मंगीलाल पुत्र रामूसिंह 2. वीरमसिंह पुत्र रामूसिंह जातियान राजपुरोहित निवासीयान सितली तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर 3. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसील कल्याणपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 40 / 2022 बअनवान आईदानसिंह बनाम मांगीलाल वगै. में पारित आदेश दिनांक 31.05.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री ओमसिंह राजपुरोहित रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—30.09.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष के वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 रा.का.अ. के तहत पेश हुआ। वादी / रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमिया खसरा संख्या 54 रकबा 01.17 बीघा, खसरा संख्या 153 रकबा 11 बिस्वा सरहद मौजा सितली में अवस्थित है। हस्तगत वाद में अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील करवाये बिना तथा अपीलांट को सुने बिना एकपक्षीय निर्णय दिनांक 17.06.2016 को पारित किया गया। उपरोक्त एकपक्षीय निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने प्रार्थना—पत्र आदेश 09 नियम 13 दिवानी प्रक्रिया संहिता के तहत पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा मनमानी तरंग पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने उच्च न्यायालयों के जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये थे उसमें जो अधिमत उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान किया गया, वो किस प्रकार से वर्तमान प्रकरण में भिन्न नहीं है, के बारे में कोई व्याख्या या विवेचना नहीं की गई, उपरोक्त आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। चारों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष के वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 रा.का.अ. के तहत पेश हुआ जिसमें एकपक्षीय निर्णय दिनांक 17.06.2016 को पारित किया गया। हस्तगत वाद में अपीलांट के विरूद्ध सम्मन पर्याप्त तामील नहीं होने के बावजूद भी दिनांक 03.02.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया, जबकि कैम्प कोर्ट में पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामा एवं आपसी सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई राजीनामा नहीं हुआ। उपरोक्त एकपक्षीय निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र आदेश 09 नियम 13 दिवानी प्रक्रिया संहिता के तहत पेश किया गया। जहां किसी प्रकरण में बिना पर्याप्त तामील के एकपक्षीय डिक्री पारित की गई, और जिसको मन्सुख करने हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र पेश किया हो, तथा प्रार्थी अच्छा हेतुक दर्शित करता है तथा प्रकरण गुणावगुण पर सुदृढ हो, वहां पर परिसीमा के बिन्दु को गौण हो जाता है, वहां परिसीमा का बिन्दु गौण हो जाता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिये, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत दुसरे पक्ष को को भी सुनो का गौर उल्लंघन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष के वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 रा.का. अ. के तहत पेश हुआ। वादी/रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमिया खसरा संख्या 54 रकबा 01.17 बीघा, खसरा संख्या 53 रकबा 11 बिस्वा सरहद मौजा सितली में अवस्थित है। रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि के बदिशा पश्चिम में त्रिभुजाकार आकार क्षैत्रफल 348 वर्गफीट भूमि पर अपीलांट ने अवैध पक्का निर्माण कर दिया गया। विवादित भूमि पर अपीलांटगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। अपीलांटगण रेस्पोडेंटस के कब्जा काश्त एवं रास्ते में कोई दखलंदाजी करते है तो अपीलांट को क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद अपीलांट के नाम से जारी सम्मन पर सम्यक तामील करवाई गई उसके बावजूद न्यायालय के समक्ष जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से एवं सदभावना के तहत नहीं आये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा मूल वाद में अपीलांट के नाम से जारी सम्मन पर्याप्त तामील की श्रेणी में आता है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 54 के रकबे पर अवैध रूप से पक्का निर्माण किया गया। अपीलांट ने खसरा संख्या 53 जो सरकारी कटाण रास्ता है जिस पर भी अतिक्रमण कर रखा है जिसे करने का अपीलांट को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.06.2016 की पालना नहीं होने पर रेस्पोडेंटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इजराय पेश की गई। इजराय संख्या 03/2018 पर दर्ज की गई तथा उसमें पेश दिनांक 17.07.2018 को अपीलांट स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अपीलांट को तहसीलदार कल्याणपुर ने पत्रांक दिनांक 09.12.2021 जारी किया गया जो अपीलांट स्वयं से दिनांक 14.12.2021 को व्यक्तिगत रूप से तामील करवाया गया उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आवेदन दिनांक 08.02.2022 को पेश किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि अपीलांट ने जानबूझकर प्रकरण में अनावश्यक विलंब कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा मांगीलाल वगै. बनाम आईदानसिंह वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 एवं राजस्व विविध प्रकरण संख्या 40/2022 बअनवान आईदानसिंह बनाम मांगीलाल वगै. में पारित आदेश दिनांक 31.05.2022 उपरोक्त दोनों ही निर्णय/आदेशों को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर